संख्या–538 / 9–आ–3–2002–240काम्प / 2001

प्रेषक,

यज्ञवीर सिंह चौहान,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–3 लखनऊः दिनाँक–8 फरवरी,2002

विषय : स्कूल / शिक्षण संस्थाओं से भूखण्ड के क्षेत्रफल के बजाय निर्मित क्षेत्र के आधार पर विकास शुल्क लिए जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–4108 / 9–आ–3–2001–26 एल.यू.सी. / 99 दिनांक 26 दिसम्बर, 2001 का संदर्भ ग्रहण करें। जिसके द्वारा विद्यालयों / शिक्षण संस्थाओं के प्रकरणों में मानचित्र स्वीकृति के समय भूखण्ड के सम्पूर्ण क्षेत्रफल के बजाय उसी भाग के लिए विकास शुल्क लिए जाने के निदेश दिए गये थे, जिस पर निर्माण प्रस्तावित है अथवा जिस भू–भाग का एफ.ए.आर. वह उपयोग करे, जो भी अधिक हो।

इस सम्बंध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त शासनादेश दिनाँक 26 दिसम्बर, 2001 में प्रदत्त छूट बेसिक टेलीफोन सर्विसेज जिसे इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधा में अनुमन्य किया गया है, से सम्बंधित निर्माण पर भी कर दी जाये। कृपया शासन के उपरोक्त निर्णयानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

शासनादेश दिनांक 26 दिसम्बर, 2001 इस सीमा तक संशोधित समझा जाए।

भवदीय,

यज्ञवीर सिंह चौहान
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनाँक तदैव।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
1. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. अपर निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।
3. आवास विभाग केन्द्र के समस्त अधिकारी एवं अनुभाग।
4. रिलायन्स इन्फोकाम लि0 7–8 भूतल, सरन चैम्बर, –11,5, लखनऊ। 226001

आज्ञा से,

यज्ञवीर सिंह चौहान
विशेष सचिव।